

13/11/16

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)

मो० सोहैल, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 16-02-2016 को ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा विभागीय संबंधी किये गये कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अभियंता /संवेदकों का बैठक में भाग लेने हेतु स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

(2) ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा :-

➤ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना :-

○ जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क ग्राम योजना में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2011-12 में बनाये गये सड़कों के बारे में पृच्छा की गयी। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के वर्ष 2006-07 से वर्ष 2011-12 तक कुल 24 सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिसमें 11 सड़के पोर्टलेस है। जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को सड़कों का भौतिक सत्यापन यथा- पोर्ट है या नहीं, जांच कर प्रतिवेदन जिला गोपनीय कोषांग, मधेपुरा में समर्पित करने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन-कार्यपालक अभियंतागण)

○ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 में कुल 79 स्वीकृत सड़कों में 19 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन 19 सड़कों में 19 सड़कें रख-रखाव में है एवं सड़के पोर्टलेस है।

➤ एम०एन०पी० :-

○ वर्ष 2005-06 से वर्ष 2011-12 तक कुल 22 स्वीकृत सड़कों /पुल में 22 सड़कों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। 04 सड़कें रख-रखाव में है एवं पोर्टलेस है। इस योजना में स्वीकृत 02 पुल का भी निर्माण पूर्ण करा लिया गया है।

➤ नाबार्ड :-

○ वर्ष 2006-07 से वर्ष 2013-14 तक कुल 10 स्वीकृत सड़कें में 08 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन 08 सड़कों में 03 सड़कें रख-रखाव में है।

➤ एस०सी०पी० :-

○ वर्ष 2006-07 से 2012-13 तक कुल 06 स्वीकृत सड़कों में से 06 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन 06 सड़कों में 02 सड़कें रख-रखाव में है। जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि पोर्ट है या नहीं। बताया गया कि पोर्ट नहीं है।

➤ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :-

- वर्ष 2008-09 से वर्ष 2014-15 तक कुल 67 सड़कें स्वीकृत हैं। इन 67 सड़कों में 20 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 14 सड़कें रख-रखाव में हैं, जिसमें 08 सड़कों का रख-रखाव का कार्य प्रगति पर है। 03 सड़कों के रख-रखाव की अवधि पूर्ण हो गयी है। शेष 03 सड़कें कार्य प्रमण्डल उदाकिशुनगंज को स्थानांतरित की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा से इन रख-रखाव वाले सड़कों का नाम पूछा गया एवं विवरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। *(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, मधेपुरा)*

जिलाधिकारी द्वारा मेनटेनेंस वाले सड़कों के बारे में सहायक अभियंता /कनीय अभियंता /संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने एवं उसकी प्रतिलिपि प्रबंधक, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, पटना को भी देने का निदेश दिया गया। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि उक्त सड़कें मेनटेनेंस में नहीं हैं, तो क्यों नहीं आपके विरुद्ध विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जाए।

➤ एम0/आर0 :-

- वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक कुल 11 स्वीकृत सड़कों में से 05 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना में एक भी सड़क रख-रखाव मद में नहीं है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उपरोक्त योजनाओं में से निर्माण पूर्ण 108 सड़कों में 44 सड़क ही रख-रखाव में हैं। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा को बांकी सड़कों के रख-रखाव के लिए निविदा निकालने का निदेश दिया गया।

➤ क्लास-1 की सड़कें :-

- जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि क्लास-1 में कितने सड़कें हैं। बताया गया कि क्लास-1 में 21 सड़कें हैं। इसी क्रम में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि क्लास-1 में ऑनलाईन के माध्यम से सड़कें पंजीकृत कराने का निदेश प्राप्त है। प्राप्त निदेश के आलोक में क्लास-1 में जिन-जिन सड़कों का ऑनलाईन पंजीकरण किया गया। सभी सड़कों अनुमोदन नहीं हुआ है। वर्ष 2014-15 में 06 योजनाएँ स्वीकृत हैं, निर्माण कार्य चल रहा है।

जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल से पृच्छा की गयी कि जो सड़कें ऑनलाईन पंजीकृत की गयी, उन सड़कों की स्वीकृति हुई या नहीं। इस संबंध में जॉच-पड़ताल की गयी। दोनों कार्यपालक अभियंता द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज को क्लास-1 में पंजीकृत किये गये सड़कों की सूची समर्पित करने का निदेश दिया गया।

➤ एम0एम0जे0एस0वाई0 :-

- जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि एम0एम0जे0एस0वाई0 के वर्ष 2013-14 की सड़कें अपूर्ण क्यों है यथा- कौशलपुर से बेलोडीह गंगापुर, मुरलीगंज में पी0एम0जी0एस0वाई0 वर्ष 2013-14 का सड़क निर्माण अधूरा क्यों है ? संवेदक श्री रनजेश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि ग्रेड-III, एग्रीमेन्ट आदि पूरा कर लिया गया है। अलकतरा नहीं मिलने के कारण कालीकरण का कार्य शेष है। बताया गया कि आई0ओ0सी0 बरौनी से अलकतरा लाने हेतु एग्रीमेन्ट है। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि जहां अलकतरा उपलब्ध हो, वहां से लाने हेतु एग्रीमेन्ट करें। जिलाधिकारी द्वारा संवेदक से पृच्छा की गयी कि कितने दिनों में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा। संवेदक द्वारा बताया गया कि 31 मार्च, 2016 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल को कार्य पूर्ण करवाने हेतु रुचि लेने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन-सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्र0, मधेपुरा)

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि जो संवेदक एग्रीमेन्ट के हिसाब से तय समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करता है, तो उक्त निर्माण कम्पनियों को काली सूची में डालें।

- पूरब साह टोला से यादव टोला नहर, पिपराही, सिंहेश्वर में पी0एम0जी0एस0वाई0 वर्ष 2013-14 के सड़क निर्माण के बारे में जिलाधिकारी द्वारा संवेदक श्री रंजेश कुमार सिंह से पृच्छा की गयी। बताया गया कि मात्र कालीकरण का काम बांकी है, जिसे 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
- जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता को रोड केनाल से भगवती स्थान तक एम0एम0जी0एस0वाई0-2014-15 के तहत बना रहे सड़क के संवेदक के बारे में पृच्छा की गयी। बताया गया कि वे बैठक में अनुपस्थित है।
- जिलाधिकारी द्वारा लालकुण्ड साह से सोनार टोली तक एम0एम0जी0एस0वाई0-2014-15 के तहत बना रहे सड़क के संवेदक के बारे में पृच्छा की गयी। बताया गया कि संवेदक बैठक में उपस्थित नहीं है। कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि इस सड़क में 200 फीट का कार्य सामग्री के अभाव के कारण बचा हुआ है। एक सप्ताह में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभियंता /सहायक अभियंता /कनीय अभियंता की यह जिम्मेवारी है कि आवंटित कार्य को पूर्ण कराया जाए। *(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, मधेपुरा)*
- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि सड़क के 4 किलोमीटर से श्रीपुर डीह टोला, मधेपुरा में मेसर्स अनिरुद्ध कन्सट्रक्शन द्वारा सड़क बनाया जा रहा है। सड़क निर्माण में ग्रेड-III किया हुआ है। बी0टी0 का काम बांकी है। संवेदक द्वारा बताया गया कि अलकतरा उपलब्ध नहीं है। सहायक अभियंता को संवेदकों से लगातार साप्ताहिक पत्राचार करने का निदेश दिया गया।
- सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि सिंहेश्वर दुर्गा स्थान से रहमानी टोला तक आवंटित सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

- सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि सुखासन मेहता टोला से शिव दयालपुर, सिंहेश्वर तक आवंटित सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि समर्पित किये गये प्रतिवेदन में उक्त कार्य अपूर्ण दिखाया गया है।

- जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि एन0एच 107 से दुर्गास्थान, मुरलीगंज का सड़क निर्माण पूर्ण क्यों नहीं है? संबंधित कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि सामाग्री गिरा दी गयी है, काम शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि संबंधित संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु साप्ताहिक निदेश पत्र निर्गत करें। अगले महीने इसकी समीक्षा की जाएगी।
(अनुपालन-कनीय, अभि0, ग्रामीण कार्य प्र0, मधेपुरा)

- जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि हरिपुर कला पंचायत सरस्वती चौक से दिग्धी पंचायत रामपुरिया बजरंगबली चौक के सड़क निर्माण में क्या समस्या है? कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि पी0सी0सी0 ढलाई कर दिया गया है। ग्रेड-111 नहीं किया गया है। क्यों कि बीच अवधि में विधान सभा चुनाव के कारण कार्य रुका हुआ था। जिलाधिकारी द्वारा कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा को कार्य पूर्ण नहीं करने वाले संवेदक को ब्लैक लिस्ट करने का निदेश दिया गया। (अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्र0, मधेपुरा)

समीक्षा के क्रम में संवेदक द्वारा बताया गया कि सड़कों का मेनटेनेंस का कार्य करने के बाद भुगतान नहीं होता है। जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित दोनों प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता से पृच्छा की गयी। बताया गया कि राशि उपलब्ध रहने पर भुगतान की जाती है। जिस सड़क के मेनटेनेंस के लिए राशि स्वीकृति होती है, भुगतान किया जाता है।

➤ सड़कों का मेनटेनेंस :-

- जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सड़कों के मेनटेनेंस के लिए राशि प्राप्त करने के लिए अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अधिवाचना करने का निदेश दिया गया। (अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज)
- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पी0एम0जी0एस0वाई में कुछ राशि प्राप्त हुई है, नियमानुसार संवेदकों को भुगतान कर देने का निदेश दिया गया।

➤ भू-अर्जन :-

- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि एक साल पहले एग्रीमेन्ट स्वीकृत हुआ है, आवाई नहीं बना है। बताया गया कि Acquired भूमि फरवरी, 2016 में ही Handover कर दिया जाएगा।
- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि भूमि अधिग्रहण का कुछ मामला सिविल कोर्ट में लंबित है। उक्त मामलों को लोक अदालत में निष्पादित कराने का निदेश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया।

